

ईश्वर शरण पी0जी0 कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

आचरण नियमावली Code of Conduct

महाविद्यालय के उद्देश्य

- i. छात्रों के बीच सामाजिक एवं नागरिक उत्तरदायित्त्व की भावना का विकास करना।
- ii. व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने में छात्रों के ज्ञान का प्रयोग करना।
- iii. छात्रों में सामुदायिक जीवनस्तर और उत्तरदायित्त्वों को साझा करने के लिये आवश्यक क्षमता विकसित करना।
- iv. सामुदायिक भागीदारी की वृद्धि में कौशल विकसित करना।
- v. छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नेतृत्व के गुणों का विकास करना।
- vi. छात्रों में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना का विकास करना।

विद्यार्थियों के लिए आचरण नियमावली

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय से ही महाविद्यालय परिसर (College Campus) में आचरण—व्यवहार नियमावली का पालन सुनिश्चित करना होगा।

i. प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षाओं में नियमित प्रतिभाग करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। इसके साथ ही परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिये विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

कसी भी गैर-विधिक गतिविधि में संलिप्तता पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

iii. महाविद्यालय परिसर से विद्यार्थी को अदेय-प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही महाविद्यालय परिसर छोड़ने की

अनुमति होगी।

iv. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी पहचान—पत्र (I-Card) के साथ महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करना होगा एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पहचान—पत्र (I-Card) प्रस्तुत करना होगा।

विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित

गैर-विधिक गतिविधियों से सर्वथा बचेंगे-

 धर्म, लिंग, रंग, जाति, भाषा, द्विव्यांगता, आदि के आधार पर विभेदीकरण नहीं करेंगे।

ii. किसी विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रतिबंधित धार्मिक / आतंकवादी समूह की सदस्यता ग्रहण करना वर्जित होगा।

iii. नशीले पदार्थों तथा धूम्रपान का महाविद्यालय परिसर में प्रयोग व सेवन करना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

iv. आरक्षित पार्किंग क्षेत्र के अतिरिक्त वाहन को अन्यत्र कहीं भी पार्क नहीं करना होगा।

vi. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना महाविद्यालय प्रशासन की अनुमति के मीडिया से बात नहीं करेंगे।

vii. विद्यार्थी बिना पूर्व अनुमति के ऑडियो / वीडियो किसी

भी रूप में कोई लेक्चर रिकार्ड नहीं करेगा, इसके साथ ही विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि महाविद्यालय परिसर की शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों की किसी भी ऑडियो / वीडियो क्लिप को साझा नहीं करेंगे।

- viii. कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में किसी की भी व्यक्तिगत तस्वीर, वीडियों क्लिप, ऑडियो क्लिप बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शित नहीं करेगा।
- ix. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं कार्यशाला क्षेत्र आदि में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- x. कक्षा, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयं आदि स्थानों पर छात्रों के साथ किसी अतिथि एवं आगंतुक के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- xi. सभी प्रयोगशालायें अपने सुचारू काम—काज के लिये कुछ सुरक्षा और शैक्षणिक मानदंड रखते हैं। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन मानदंडो पर खुद को अद्यतन रखेंगे और उसी के अनुरूप आचरण करेंगे।
- xii. प्रयोगशाला में आपातकाल अथवा दुर्घटना की स्थिति में छात्रों को संकाय सदस्य या तकनीकी सहायक को अविलम्ब सूचित करना होगा।
- xiii. संस्थान में अध्ययन अवधि में छात्रों को मशीनों और उपकरणों को सावधानीपूर्वक संचालित करना होगा, सभी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा स्वयं को, दूसरों को तथा संस्थान की सम्पत्ति, मशीनरी और उपकरणों आदि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि उपरोक्त संदर्भों में उन्हें दोषी पाया जायेगा तो क्षतिपूर्ति का दायित्व छात्रों पर होगा जो कि संस्थान

के विवेक पर निर्भर करेगा, जो अंतिम रूप से मान्य होगा।

- xiv. कोई भी छात्र, इस संस्थान के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा इस संस्थान के किसी भी अधिकृत आगंतुक वक्ताओं या व्यक्तियों आदि के प्रति किसी भी प्रकार की यौन हिंसा, नस्लीय हिंसा या अशोभनीय टिप्पणी का प्रयोग नहीं करेगा।
- xv. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृहद स्तर पर अनुपस्थिति, कक्षाओं के बहिष्कार, महाविद्यालय परिसर का वातावरण दूषित करने, छात्रों को कक्षाओं में जाने से रोकने तथा किसी अन्य माध्यम से धमकी देने, शारीरिक रूप से रोकने आदि के लिये छात्रों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिये दण्ड

सामान्य अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित दण्ड लगाये जा सकते हैं:-

- i. प्रथम अपराध के लिए छात्र को चेतावनी जारी की जा सकती है लेकिन इसे उसके अभिलेख में नहीं रखा जायेगा। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर छात्र पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ इसे उसके अभिलेख में भी रखा जा सकता है।
- ii. प्रत्येक अपराध के लिये छात्र पर अर्थदण्ड या जुर्माना लगाया जा सकता है।
- iii. छात्रवृत्ति या अन्य लाभ, ग्रेड कार्ड तथा प्रस्ताव पत्र वापस लिया जा सकता है।

विशेष अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिये दण्ड

जब उल्लंघन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष माना जाता है, तो उसके लिये निम्नलिखित दण्ड लगाये जा सकते हैं।

- i. कॉलेज से स्थायी निष्कासन हो सकता है।
- ii. दोषी छात्र को एक वर्ष या इससे अधिक वर्षों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।
- iii. छात्र को महाविद्यालय से निलंबित किया जा सकता है तथा उसे परिसर में प्रवेश करने, कक्षाओं में सम्मिलित होने तथा अन्य सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।
- iv. दोषी छात्र पर परिस्थितियोचित अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित होगी।

सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिकता

शिक्षण कार्य में नैतिकता एवं पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाये रखना किसी भी शिक्षण संस्थान का मुख्य आधार स्तम्भ है। प्रत्येक विद्यार्थी का यह उत्तरदायित्व है, वह शिक्षण के वास्तविक प्रतिमानों को अपने आचरण एवं व्यवहार में उचित स्थान देगा। शिक्षण, अनुसंधान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लघु—शोध प्रबन्ध जमा करने से पूर्व उसकी मौलिकता की घोषणा सदाचार नियमावली के लिए आवश्यक है।

इस आचरण नियमावली के निम्न अपवाद हैं, जो शैक्षणिक सत्यनिष्ठा व नैतिकता को सीमित कर सकते हैं:-

- i. Plagiarism (साहित्य चोरी)
- ii. Cheating (नकल करना)
- iii. Conflict of Interest (परस्पर हितो का टकराव) उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों से कुछ अन्य कर्तव्यों एवं दायित्वों की अपेक्षा की जाती है :-
 - i. छात्रों को संस्थान परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहायता करनी चाहिये और साथ ही हरियाली का संरक्षण और रखरखाव भी करना चाहिये।

- ii. पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं सहित अध्ययन क्षेत्रों के अंदर खाद्य एवं पेय पदार्थों को लाने की अनुमति नहीं है। अतः छात्रों को इस प्रकार की गतिविधि से बचना चाहिये।
- iii. छात्रों को जल और विद्युत के संरक्षण में सहायता करनी चाहिये। इसके लिये वे जब कक्षाओं से बाहर जायें तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कक्षा के पंखे और बल्ब आदि विद्युत उपकरण बंद हैं।

एन्टी रैगिंग

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, यू०जी०सी० एन्टी रैगिंग अधिनियम—2009 के प्रावधान लागू किये गये हैं। इस अधिनियम के निर्देशानुसार :—

- ं. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा किसी अन्य छात्र/ छात्रा के लिए मौखिक/लिखित या अन्य किसी कृत्य से असहज स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करना कदाचार की श्रेणी में आयेगा।
- ii. प्रत्येक छात्र / छात्रा का यह कर्तव्य है कि वह कॉलेज परिसर में किसी प्रकार से अन्य छात्र / छात्रा के लिए डर, भय, आतंक, अनुशासनहीनता का वातावरण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करेगा।
- iii. किसी भी वरिष्ठ छात्र / छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक शैक्षिक गतिविधि में प्रतिभाग करेगा तथा नवागंतुक छात्र / छात्रा को इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।
- iv. महाविद्यालय परिसर में, गाली—गलौज, अश्लीलता, अश्लील वीडियो, फोटो, अफवाह जैसे कृत्यों में प्रत्यक्ष / परोक्ष रूप से सम्मिलित होना प्रत्येक छात्र / छात्रा के लिए सर्वथा वर्जित है।

एन्टी रैगिंग कमेटी / एन्टी रैगिंग स्क्वॉड

एन्टी रैगिंग कमेटी सभी प्रकार की रैगिंग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करेगी। एन्टी रैगिंग कमेटी के अंतर्गत ही एन्टी रैंगिंग स्क्वॉड होगा जो एन्टी रैगिंग कमेटी का छोटा भाग होगा। जिसके कार्यों में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करना एवं समय—समय पर औचक निरीक्षण करना शामिल होगा। एन्टी रैगिंक स्क्वॉड, एन्टी रैगिंग कमेटी को अपने सुझाव व अनुशंसायें देगा। यदि कोई छात्र / छात्रा एन्टी रैगिंग कमेटी द्वारा दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जा सकती है।

- i. नियमित कक्षाओं एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
- ii. स्कॉलरशिप / फेलोशिप पर अस्थायी तौर पर रोक लगायी जा सकती है।
- iii. परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
- iv. परीक्षा परिणाम रोका जा सकता है।
- v. विशेष परिस्थितियों में नजदीकी थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा सकती है।
- vi. महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

प्राचार्य हेतु आचरण नियमावली

महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य की भूमिका बहुआयामी उत्तरदायित्व की होती है, प्राचार्य को महाविद्यालय परिसर के दिशा—निर्देशक, प्रशासक, शिक्षक, मेंटर के रूप में साथ ही साथ यू०जी०सी० के द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराना होता है।

इस उद्देश्य हेतु :--

- i. महाविद्यालय परिसर के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों (Stakeholders) की अभिरूचियों को ध्यान में रखते हुये गुणात्मक अभिवृद्धि कराना।
- ii. विभिन्न लाभार्थियों (Stakeholders) को अभिवृद्धि के समान अवसर उपलब्ध कराना।
- iii. महाविद्यालय परिसर में सामाजिक न्याय की अवधारणा को भारत के संवैधानिक ढॉचे के अनुरूप लागू करते हुए जाति, रंग, लिंग, धर्म, में विभेदीकरण जैसे आचरण पर प्रतिबन्ध लगाना।
- iv. The sexual Harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 के प्रावधानों को लागू कराना।
- v. महाविद्यालय परिसर में शिक्षणेत्तर गतिविधियों में छात्र/छात्राओं की सक्रिय भागीदारी जो सामाजिक बदलावों के अनुरूप हो, को बढ़ावा देना।
- vi. महाविद्यालय परिसर के प्रमुख के रूप में प्राचार्य की कैंपस में

केन्द्रीय भूमिका होती है। प्राचार्य को महाविद्यालय परिसर की अभिवृद्धि के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना जिसके लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध करना, शोध पत्र, / सेमिनार, कार्यशाला / रिसर्च प्रोजेक्ट आदि गतिविधियों को बढ़ावा देना जिससे महाविद्यालय परिसर में शोध विकास के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित हो सके।

शिक्षकों के लिए आचरण नियमावली

प्रत्येक शिक्षक सरकारी सेवा आचरण नियमावली, यू०जी०सी० के दिशा—निर्देश एवं नियम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) से समय—समय पर आने वाले दिशा—निर्देश एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आर्डिनेन्स में निहित नियमों के अनुरूप अपना शैक्षणिक आचरण सुनिश्चित करेगें। इसके अन्तर्गत:—

- i. प्रत्येक शिक्षक को कक्षा में निर्धारित समय पर पहुँचना, निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार पठन—पाठन सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक छात्र तक अपनी पहुँच बनाये रखना तथा छात्र को यथोचित सहायता प्रदान करना।
- ii. कक्षा में छात्रों के विचारों का सम्मान करना।
- iii. धर्म, जाति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक विशेषताओं से प्रभावित हुये बिना छात्रों के साथ उचित एवं निष्पक्ष व्यवहार करना।
- iv. छात्रों की योग्यता और क्षमताओं में अंतर को पहचानना तथा उनमें योग्यता एवं क्षमता का संवर्द्धन करना।
- v. प्रत्येक शिक्षक को अनुसंधान कार्य में संलग्न रहना और इस कार्य से स्वयं को एवं अन्य लाभार्थियों (Stakeholders) को लाभान्वित करना।
- vi. प्रत्येक शिक्षक को विषयेत्तर ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु अपने छात्रों को प्रेरित करना अन्य शिक्षण संस्थाओं से भी तारतम्य स्थापित करने के लिए भी प्रयास करना।

- vii. प्रत्येक शिक्षक द्वारा शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य में मौलिकता एवं सत्यनिष्ठा का कड़ाई से अनुपालन करना।
- viii. ज्ञान में योगदान के लिये संगोष्टियों, सम्मेलनों, एवं कार्यशालाओं आदि में प्रतिभाग करके स्वतंत्र और स्पष्ट राय व्यक्त करना।
- ix. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शैक्षिक उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करने में सहायता करना जैसे— प्रवेश, सलाह और परामर्श आदि के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करना।
- x. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन, पर्यवेक्षण और मूल्याँकन में योगदान करना।
- xi. सामुदायिक सेवा सहित विस्तार, सह—पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित रखना।
- xii. सभी प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- xiii. सभी शैक्षिक / प्रशासनिक / समितियों में अपना शत— प्रतिशत योगदान सुनिश्चित करना।
- xiv. संस्था के उद्देश्यों एवं आदर्शों के आदर्श संवाहक बनना।
- xv. आचरण एवम् व्यवहार अनुकरणीय बन सके तथा संस्था एवम् संस्था से जुड़े सभी लाभार्थी (Stakeholders) उसे आदर्श रूप में स्वीकार करें— स्वयं को उसी रूप में प्रस्थापित करना।
- xvi. शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रति भी वही आदर एवं सम्मान का व्यवहार करें जो वह अपने साथी शिक्षकों के साथ करते हैं।

नोट:-

- किसी भी प्रकार के शिकायत निवारण हेतु विद्यार्थी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) अथवा महाविद्यालय अनुशासनाधिकारी (Proctor) के पास निर्धारित प्रारूप प्रपत्र पर शिकायत कर सकते हैं।
- 2. सभी प्रकार के अदालती विवादों का निपटारा प्रयागराज के विधिक क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यक्ष शासी निकाय ईश्वर शरण पी०जी० कॉलेज प्रयागराज

Iswar Saran Post Graduate College

Code of Conduct

Objectives of the College-

र्थी

ell)

H

क

MU

- To develop the sense of social and civic responsibility among students.
- To utilize students knowledge in finding practical solution to individual and community problems.
- To develop competence required for group-living and sharing of responsibilities.
- To develop skills and attitude of social inclusiveness and community participation among students.
- To develop leadership qualities and democratic attitude.
- To develop national integration and social harmony among students.

General Code of Conduct for students

- Students are advised to come to the College regularly to attend classes. As per university rules 75% attendance is mandatory to appear in examination.
- Use of mobile phones in the classrooms, Library, labs, workshop area etc.is strictly prohibited.
- Every student must carry his / her Identity Card while entering the campus and identify himself with help of the Identity Card whenever asked for.
- No guests / visitors shall be allowed with the students in the class/lab/ library.

- Students must help keep the institute neat and clean and also preserve and maintain the greeneries. Eatables / beverages are not allowed inside the study areas including labs, library and workshops. Smoking is strictly prohibited in the premises of the institute.
- Students must conserve *electricity and water*. They must switch off lights & fans when they leave the class room, laboratories etc.
- All the labs follow certain safety and academic norms for their smooth functioning. Students are advised to keep themselves updated on those norms and follow them accordingly.
- While studying in the Institute, students will have to operate machines and tools carefully and follow all safety regulations and see that no damage is caused to self, others or to the Institute's property, machinery and equipment. In case it is found that they have caused any damage to the Institute's property they shall be required to reimburse or make good the damage caused. Any decision regarding the extent of their liability on such account shall be at the discretion of the Institution, which shall be final..
- In case of medical emergency in the laboratory, the student must inform the faculty member / technical assistant immediately without any hesitation.

Following activities shall be deemed as act of indiscipline

i. Disruption of, or improper interference with the academic, administrative, sporting, social or other activities of the College, whether in the college campus or elsewhere;

- Using abusive language and creating nuisance in the premises of this College, disturbing the peace and independent rights of fellow students and faculty members;
- iii. Violent, indecent, disorderly, threatening or offensive behavior or language and action likely to cause injury or impair safety in the campus.
- iv. Action likely to cause sexual or racial harassment of any student, member of staff or other employee of this institute or any authorized visitor of this institute;
- v. Damage to, or defacement of, College property caused intentionally or recklessly, or misappropriation of such property which includes, damaging library books, resources and furniture like cupboards/lockers / file cabinets / walls /doors/ windows/ white board / tables / equipment / chairs etc. by way of writing names/painting/scribbling etc.;
- vi. Misuse or unauthorized use of the College premises or items of property, including computers;
- vii. Being instrumental directly or indirectly for mass absenteeism or boycott of classes resulting in vitiating the atmosphere of the Institute; Threatening, physically preventing or using any other means from preventing the students from attending classes;
- viii. Consuming drugs, alcohol or any other activity in Campus which is construed as a societal offence at large;

Penalties for minor disciplinary violation

Where the violation is considered minor by the Competent Authority, the following penalties may be imposed at the discretion of the Competent Authority for minor disciplinary violations:

- A warning to be issued to the student for first offence may not be placed in the students' record. However, in case of a repeat offence the censure may be placed on the student's record and may invite action;
- A fine may be imposed for each violation / offence;
- Withholding scholarship or other benefits/ grade cards/offer letters

Penalties for major disciplinary violation

When violation is considered major by the Competent Authority, the following penalties may be imposed for the major disciplinary violations:

- Suspension / debarment from the College where the student will be declared 'persona-non-grata' and will be debarred from entering the premises, facilities and from attending the classes or;
- Permanent expulsion from the College or;
- The defaulter may be debarred form taking an examination or examinations for one year or more than one year.
- Any other course of action which may be reasonable in the circumstances.

Academic Integrity

Academic integrity is essential for the success of an Institution and its research mission as well, and hence its violation constitutes a serious offence. Every student of the Institution should feel responsible to ensure the highest standards of academic integrity. Violations of this policy include

- (a) Plagiarism
- (b) Cheating
- (c) Conflict of Interest

Anti-Ragging

The Institution has a coherent and an effective antiragging policy in place which is based on 'UGC Regulation on curbing the Menace of ragging in Higher Educational Institution 2009' and by the Hon'ble Supreme Court of India. The said UGC regulations shall apply mutatis mutandis to the Institution.

Ragging Constitutes one or more of the following acts; (a) any conduct by any student or students whether by words spoken/or written/or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any student; (b) Indulging in rowdy or hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension there of in any other student; (c) any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any student; (d) any act of physical abuse including all variants of it; sexual abuse, stripping, forcing obscene and lewd acts or any other danger to the health of a person/persons.

Anti-Ragging Committee/Anti-Ragging squad

The anti ragging committee shall examine all complaints of anti-ragging and come out with recommendation based on the nature of the incident. An Anti ragging squad, which is a smaller body shall work under the guidance of the Anti-ragging committee. The said squad shall keep a vigil on ragging incidents taking place in the campus and undertake patrolling functions. Students may note that the squad is active and alert at all times and empowered to inspect place of potential ragging, and also make surprise raids in hotspots in the college.

The student found guilty by the committee will attract one or more of the following punishment, as imposed by the Antiragging committee;

- (a) Suspension from attending classes and academic privileges.
- (b) Witholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits.
- (c) Witholding results
- (d) Cancellation of admission
- (e) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission.
- (f) If need be in view of the intensity of the act; a first information report(FIR) shall be field by the institute with the local police authorities.

Code of conduct for the Principal

The chair of the Principal of a college has got multifaceted roles to play and to shoulder multilateral responsibilities having characteristics of a patron, custodian, supervisor, administrator, inspirer and so on. As the head of the institution the Principal remains liable to follow certain codes of ethics in his conduct as proclaimed by the UGC in tandem with the guidelines framed by the Ministry of Human Resource Development (MHRD). The following Code of Conduct are to be addressed

- (a) To protect the collective interest of different sections of the institution so that each and all can perform freely and give their highest for the institution building.
- (b) To uphold and maintain the essence of social justice for all the stakeholders irrespective of their caste, creed, race, sex, or religious identity as within the framework of Indian constitution.
- (c) The Sexual Harassment of women at workplace; Prevention, Prohibition and Redresssal Act 2013 will provide the redressal measures of issues related to sexual harassment within the boundary of college campus.
- (d) To maintain and promote academic activities in the college in all possible avenues already explored and thus encourage exploration of newer avenues for further academic pursuit.
- (e) As the academic head of the institution, the Principal should ensure the existence of an academic environment within the college and should endeavour

for its enrichment by encouraging research activities. Thus the Principal should put best effort to bring in adequate infrastructural and financial support for the college. The Principal should encourage the faculty members of the institution to take up research projects, publish research papers, arrange for regular seminars and participate in conference/ symposium/ workshop/seminars.

Code of Conduct for the Teachers

All faculty members are required to follow University Grant Commission and MHRD Rules and Regulation and also rules and regulation mentioned in Allahabad University Ordinance;

- (1) Be concerned and committed to the interests of the students as the foremost aim of the teaching profession is to educate. This attitude should be directed towards the specific needs of each student.
- (2) He should try to develop an educational environment. Equal treatment should be meted out to all students irrespective of caste, creed, religion, gender or socioeconomic status. There should not be any partiality or vindictive attitude towards any of them.
- (3) The teacher should instil a scientific and democratic outlook among his students, making them community oriented, patriotic and broad minded. This is a part of his social responsibility.
- (4) Developing new teaching strategies and curriculum as well as planning for an upgraded academic system should be an integral part of his professional duties.
- (5) Professional honesty should not be compromised in research. Plagiarism is an evil that cannot be accepted at any cost. The aim should be to improve quality research.
- (6) Teachers should be respectful and cooperative towards their colleagues, assisting them and sharing the responsibilities in a collaborative manner.
- (7) To Be Punctual and reach by time in the classes and maintain discipline.

- (8) Teachers should accord the same respect and treatment to the Non teaching staff as they do their fellow teachers. The institution should hold joint meeting before upholding any decision regarding the college.
- (9) Regularly participate in Seminars, Conferences, Workshops and other academic activities and express their innovative views.
- (10) To be pro-active towards the different responsibilities and assignments of the college as well as the parent university.
- (11) Make sure your active contribution in invigilation, evaluation and smooth conduct of Examinations.
- (12) All the teachers are required to actively participate in Community Services, extension programmes, Co-Curricular and extra-curricular activities.
- (13) Make sure your full contribution in different committees and administrative assignments of the college.
- (14) Make sure that teachers conduct and behaviour in the campus is such that it should be the ideal and role model for the students.

Note:

- (1) For any complaints, students should use the format available with Grievace Redressal Cell or the Proctor of the College.
- (2) All the legal matters can be settled only in the Prayagraj jurisdiction area.

Chairman Governing Body Iswar Saran Degree College Prayagraj

ईश्वर शरण पी0जी0 कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

शिकायत निवारण-प्रपत्र

1.	शिकायतकर्त्ता विद्यार्थी का नाम	
2.	पिता का नाम	
	परिचय—पत्र सं0सत्र कक्षासत्र	
6.	शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य (यदि कोई	
7.	शिकायत का प्रस्तावित समाधान / प्रार्थन	
स्थान :		
सम	य :	
दिन	गॅंक :	प्रार्थी का पर्ण हस्ताक्षर

Iswar Saran P.G. College University of Allahabad, Prayagraj

Gravience Redressal Form

1.	Name of Complainant	
2.	Father's Name	
3.	I Card No.	
4.	Class Session	
5.	Complaint	
6.	Evidence of Complaint (if any)	
7.	Remedy/Prayer	
Pla	ace:	
Time:		
Date:		



ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद

फोन: (0532)2645739, फैक्स: (0532)2544578

e-mail : pisdc@rediffmail.com website : isdc.ac.in